

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2015—आषाढ़ 30, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्र. 16059-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१५

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ८५,९१,२१,२२,३०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये आठ हजार पांच सौ इक्यानवे करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार तीन सौ होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व पूँजी	३७,२९,२०,१०० ५३,९७,६०,०००	३८,४७,००० ०	३७,६७,६७,१०० ५३,९७,६०,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,२१,६०,०००	०	१,२१,६०,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	१,३३,७२,१२,०००	७५,००,०००	१,३४,४७,१२,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२७,००,००,०००	०	२७,००,००,०००
०५.	जेल	राजस्व	३,७७,५०,०००	०	३,७७,५०,०००
०६.	वित्त	राजस्व	१,७१,००,०००	०	१,७१,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१५,३०,००,०००	०	१५,३०,००,०००
१०.	वन	राजस्व पूँजी	१,०२,७६,३९,१०० १००	० ०	१,०२,७६,३९,१०० १००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,६१,६५,७८,८००	२५,७६,०००	१,६१,९१,५४,८००
	पूँजी	४,५९,७३,०००	०	४,५९,७३,०००
१२. ऊर्जा	राजस्व	४,०४,२१,००,०००	०	४,०४,२१,००,०००
	पूँजी	२,०१,९१,००,१००	०	२,०१,९१,००,१००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३०,७८,४६,५००	०	३०,७८,४६,५००
१४. पशुपालन	राजस्व	३१,८५,००,१००	६,५८,०००	३१,९१,५८,१००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४१,५८,७८,०००	०	४१,५८,७८,०००
१६. मछली पालन	राजस्व	१००	३,००,०००	३,००,१००
१७. सहकारिता	राजस्व	६,००,२५,००,०००	०	६,००,२५,००,०००
१८. श्रम	राजस्व	६०,९०,०००	०	६०,९०,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२००	०	२००
२१. लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
२२. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	६,१५,६६,७५,७००	०	६,१५,६६,७५,७००
२३. जल संसाधन	पूँजी	३,८०,००,००,०००	०	३,८०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	२,२५,१०,००,१००	०	२,२५,१०,००,१००
	पूंजी	४,००,००,१५,०००	०	४,००,००,१५,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	७,५२,००,०००	०	७,५२,००,०००
	पूंजी	७,५०,००,०००	०	७,५०,००,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	७३,१४,३१,३००	०	७३,१४,३१,३००
	पूंजी	१,२५,३३,५८,०००	०	१,२५,३३,५८,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,५२,८५,०००	०	१,५२,८५,०००
	राजस्व	४५,८१,२०,४००	५,८३,००,१००	५१,६४,२०,५००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	५,१५,००,०००	०	५,१५,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	१४,३७,४७,८००	०	१४,३७,४७,८००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१००	०	१००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	१,००,०००	०	१,००,०००
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	७,५७,१८,१००	०	७,५७,१८,१००
३६. परिवहन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	१२,३०,३२,०००	०	१२,३०,३२,०००
३७. पर्यटन	राजस्व	५०,९९,९२,०००	०	५०,९९,९२,०००
	पूंजी	१०,१५,८१,०००	०	१०,१५,८१,०००
३८. आयुष	राजस्व	२२,६२,०६,०००	०	२२,६२,०६,०००
	पूंजी			

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,२६,११,६३,०००	०	२,२६,११,६३,०००
	पूंजी	१९,६२,२७,०००	०	१९,६२,२७,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	राजस्व	१,६३,९८,१४,०००	०	१,६३,९८,१४,०००
	पूंजी	५,५२,५६,८७,०००	०	५,५२,५६,८७,०००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	२००	०	२००
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१३,४२,००,०००	०	१३,४२,००,०००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	१,६१,००,००,०००	०	१,६१,००,००,०००
	पूंजी	१३,८०,००,०००	०	१३,८०,००,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	७०,००,००,०००	०	७०,००,००,०००
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	५,५०,००,०००	०	५,५०,००,०००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	२२,१२,७५,१००	०	२२,१२,७५,१००
	पूंजी	५७,५९,५८,०००	०	५७,५९,५८,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१००	०	१००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	७३,८४,६९,०००	०	७३,८४,६९,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१५,५०,००,०००	०	१५,५०,००,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५८,००,००,०००	०	५८,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५३.	अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	६७,८९,५००	०	६७,८९,५००
		पूंजी	५२,३९,२०,०००	०	५२,३९,२०,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	४,२८,००,०००	०	४,२८,००,०००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.	पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	५,६७,०००	०	५,६७,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोगना	राजस्व	२,६८,३१,०७,०००	०	२,६८,३१,०७,०००
		पूंजी	४,५४,३७,६५,०००	०	४,५४,३७,६५,०००
६५.	विमानन	राजस्व	१४,००,०००	०	१४,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी	१०,७८,००,०००	०	१०,७८,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	४०,००,०००	०	४०,००,०००
		पूंजी	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
७१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	४,४२,००,००,०००	०	४,४२,००,००,०००
		पूंजी	१,३१,००,००,०००	०	१,३१,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
७२. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,४३,६८,०००	०
			१,४३,६८,०००
७३. चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१,३७,३७,०००	०
	पूँजी	४,०२,७७,०००	०
			४,०२,७७,०००
७४. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१२,८९,७८,८३,०००	०
			१२,८९,७८,८३,०००
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,८४,८१,७७,१००	०
	पूँजी	४४,८६,०००	०
			४४,८६,०००
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	९,५०,००,६००	०
			९,५०,००,६००
	राजस्व :	५९,००,३४,१६,७००	७,३१,८१,१००
	पूँजी :	२६,८३,५५,२४,५००	०
	वृहद-योग :	८५,८३,८९,४१,२००	७,३१,८१,१००
			८५,९१,२१,२२,३००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख १९ जुलाई, २०१५.

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.